भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2566
11 अगस्त, 2023 को उत्तरार्थ

विषयः- हरियाणा में कस्टम हायरिंग सेंटर

2566. श्री कार्तिकेय शर्माः

क्या **कृषि एवं किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) कस्टम हायरिंग सेंटर (सीएचसी) योजना के अंतर्गत देश में पिछले तीन वर्षों के दौरान कितने कस्टम हायरिंग सेंटर (सीएचसी) स्थापित किए गए हैं, उनका राज्य–वार ब्यौरा क्या है;

(ख) किसानों को इस योजना के महत्व के विषय में जागरूक करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या हरियाणा राज्य में सीएचसी की संख्या बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा कोई योजना प्रस्तावित है क्योंकि हरियाणा एक कृषि प्रधान राज्य है और इस कारण ऐसे केंन्द्रों की यहां काफी अधिक आवश्यकता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क) से (ङ) देश में कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देने के लिए छोटे और सीमांत किसानों और उन क्षेत्रों में जहां फार्म पावर की उपलब्धता कम है, कृषि यंत्रीकरण की पहुंच को बढ़ाने; छोटी भूजोत और व्यक्तिगत स्वामित्व की उच्च लागत के कारण उत्पन्न प्रतिकूल मितव्यताओं को दूर के लिए 'कस्टम हायरिंग सेंटर' और 'उच्च मूल्य वाली मशीनों के हाई-टेक हब' को बढ़ावा देने; प्रदर्शन और क्षमता वर्धन गतिविधियों के माध्यम से हितधारकों के बीच जागरूकता पैदा करने और पूरे देश में स्थित नामित परीक्षण केंद्रों पर कृषि मशीनों के निष्पादन परीक्षण और प्रमाणन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राज्य सरकारों के माध्यम से वर्ष 2014-15 से कृषि यंत्रीकरण उप-मिशन नामक एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना के तहत, व्यक्तिगत स्वामित्व के आधार पर कृषि मशीनों की खरीद के लिए किसानों की श्रेणियों के आधार पर लागत के 40% से 50% की दर से वित्तीय सहायता उपलब्ध है।

कस्टम हायरिंग सेंटर (सीएचसी) और उच्च मूल्य वाली कृषि मशीनों के हाई-टेक हब की स्थापना के लिए ग्रामीण युवाओं और एक उद्यमी के रूप में किसान, किसानों की सहकारी समितियों, पंजीकृत किसान समितियों, किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) और पंचायतों को परियोजना लागत के 40% की दर से वित्तीय सहायता भी उपलब्ध है। ग्रामीण स्तर के कृषि मशीनरी बैंकों (एफएमबी) की स्थापना के लिए सहकारी समितियों, पंजीकृत किसान समितियों, एफपीओ और पंचायतों को 10 लाख रुपये तक की लागत वाली परियोजनाओं के लिए परियोजना लागत के 80% की दर से वित्तीय सहायता उपलब्ध है। एफएमबी की स्थापना के लिए पूर्वोत्तर राज्यों के लिए वित्तीय सहायता की दर परियोजना लागत का 95% है। फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थानों, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर), कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके), राज्य कृषि विश्वविद्यालयों (एसएयू), कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी (आत्मा), राज्य और केंद्र सरकार के अन्य कृषि संस्थानों/विभागों और कृषि गतिविधियों में लगे भारत सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) द्वारा आयोजित क्षमता वर्धन और नई तकनीकी मशीनों के किसानों के खेतों पर प्रदर्शन के माध्यम से एसएमएएम के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा की जाती है। पिछले तीन वर्षों के दौरान एसएमएएम के अंतर्गत स्थापित सीएचसी/हाई-टेक हबों/एफएमबी की हरियाणा राज्य सहित राज्य-वार संख्या का ब्यौरा **अनुबंध-I** में दिया गया है।

अनुबंध-I

पिछले तीन वर्षों के दौरान एसएमएएम के अंतर्गत स्थापित कस्टम हायरिंग केन्द्रों की राज्य-वार संख्या

राज्य	**सीएचसी /हाई-टेक हबों/एफएमबी की संख्या**
आंध्र प्रदेश	7935
अरुणाचल प्रदेश	6
असम	413
बिहार	638
छतीसगढ़	1243
गुजरात	37
हरियाणा	1306
हिमाचल प्रदेश	14
जम्मू और कश्मीर	96
झारखंड	245
कर्नाटक	532
केरल	1102
मध्य प्रदेश	854
महाराष्ट्र	957
मणिपुर	311
मेघालय	8
मिजोरम	108
नागालैंड	355
ओडिशा	127
पंजाब	0
राजस्थान	1060
सिक्किम	32
तमिलनाडु	787
तेलंगाना	146
त्रिपुरा	271
उत्तर प्रदेश	5795
उत्तराखंड	1063
पश्चिम बंगाल	117
योग	**25558**

*****